



UPLK010011142026

न्यायालय जनपद न्यायाधीश, लखनऊ

प्रकीर्ण वाद सं०-79/2026

संतोष बनाम फुसरू व अन्य

दिनांक-06.03.2026

1. पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार पर आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।
2. यह स्थानान्तरण आवेदन **न्यायालय अपर सिविल जज(सी०डि०), कक्ष सं०-22, लखनऊ** में लम्बित **इजरायवाद सं०-64/2025 संतोष बनाम फंसरू व अन्य**, को उक्त न्यायालय से किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु प्रस्तुत किया गया है एवं यह आधार लिया गया है कि उक्त न्यायालय रिक्त है।
3. उक्त स्थानान्तरण आवेदन पर **न्यायालय अपर सिविल जज(सी०डि०), कक्ष सं०-22, लखनऊ** के प्रभारी पीठासीन अधिकारी द्वारा अख्या दिनांकित 27.01.2026 प्रस्तुत की गयी, जिसमें **इजरायवाद सं०-64/2015 संतोष बनाम फुसरू व अन्य**, उक्त न्यायालय में लम्बित होने का उल्लेख किया गया। सी.आई.एस. की केस-डीटेल के अनुसार **इजरायवाद सं०-64/2025 संतोष कुमार बनाम फुसरू व अन्य**, उक्त न्यायालय में लम्बित है, जिससे आख्या में उल्लिखित **इजराय वाद** की संख्या 64/2015 लिपिकीय त्रुटि परिलक्षित होती है।
4. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।
5. चूँकि सम्बन्धित न्यायालय रिक्त है, अतः स्थानान्तरण हेतु पर्याप्त आधार है। तदैव यह स्थानान्तरण आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

-आदेश-

प्रस्तुत स्थानान्तरण आवेदन स्वीकार किया जाता है। **न्यायालय अपर सिविल जज(सी०डि०), कक्ष सं०-22, लखनऊ** में लम्बित **इजरायवाद सं०-64/2025 संतोष बनाम फंसरू व अन्य**, को उक्त न्यायालय से विधि-अनुसार सुनवायी एवं निस्तारण हेतु **न्यायालय अपर सिविल जज(सी०डि०), कक्ष सं०-24, लखनऊ** में स्थानान्तरित किया जाता है।

सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियम 89-ए जनरल रूल्स (सिविल) का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए वार्दों का विधि-अनुसार निस्तारण सुनिश्चित करेंगे।

सर्वसम्बन्धित सूचित हों।

(मलखान सिंह)
जनपद न्यायाधीश,
लखनऊ